"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 243] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 सितम्बर 2012—भाद्र 31, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि./22/2012/1347.—छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 70 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (कक्ष क्रमांक 213) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :—

1. नियम 27 के खण्ड (दो) में, शब्द "स्थिति थी" के पश्चात् पूर्ण विराम "." के स्थान पर कोलन ":" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 27 के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु लोकहित में, जिले की भीतर की एक जनपद पंचायत से दूसरी जनपद पंचायत में किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण, संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा तथा ऐसे स्थानांतरण की दशा में, स्थानान्तरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि लोकहित में, जिला पंचायतों में कार्यरत पंचायत सेवा के किसी कर्मचारी का स्थानांतरण, आयुक्त सह संचालक, पंचायत द्वारा राज्य के एक जिला पंचायत से दूसरी जिला पंचायत में किया जा सकेगा तथा ऐसे स्थानान्तरण की दशा में, स्थानान्तरित कर्मचारी की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि./22/2012/1348.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि./22/2012/1347, दिनांक 22-9-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्रकांत उइके, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd September 2012

NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2012/1347.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999, which the State Government proposes to make in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Adhiniyam, for information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of Fifteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objections or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours, by the office of the Deputy Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Government of Chhattisgarh, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur, (Room No. 213) shall be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :—

1. In clause (ii) of rule 27, for the full stop "." after the word "appointment" the colon ":" shall be substituted.

2. After clause (ii) of rule 27, the following proviso shall be added, namley :—

"Provided that in the public interest the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat may transfer any employee from one Janpad Panchayat to another Janpad Panchayat within the district and in case of such transfer, the seniority of the transfered employee shall not be affected :

Provided further that in the public interest the Commissioner cum Director, Panchayat may transfer any employee of Panchayat services, working with the Zila Panchayat, from one Zila Panchayat to another Zila Panchayat in the state and in case of such transfer, the seniority of the transferred employee shall not be affected."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
CHANDRAKANT UIKE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.